फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद सं. 2024/21 बअनवान चम्पादेवी वगैरा बनाम अमराराम वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सीपीसी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
08/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सीपीसी पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रतिवादी पक्ष के वकील श्री विक्रमादित्य सिंह ने बहस में प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी की वादीगण ने उक्त विभाजन का वाद खसरा नं 272 रकबा 1.53 हैक्टर के बंटवाडे का पेश किया है जबकि वास्तविकता यह है कि हाल खसरा नंबर 272 पुराने खसरा नंबर 128/1 से बना है तथा पुराने खसरा नंबर 128/1 का रकबा 12 बीघा था जबकि वर्तमान में खसरा नंबर 272 का रकबा 10 बीघा ही है जबकि मौके पर भूमि 12 बीघा है। इस प्रकार वर्णित भूमि में भू–प्रबंध विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किये जाने पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 द्वारा संयुक्त रूप से इन्द्राज दुरूस्ती के माध्यम से घोषणा खातेदारी का वाद न्यायालय में पेश किया है जो वाद न्यायालय में लंबित है तथा इन्द्राज दुरूस्ती के वाद के निरस्तारण के पश्चात ही प्रकरण का न्यायपूर्ण निर्णय संभव होगा अन्यथा रिकार्ड में कम दर्ज 2 बीघा रकबा के संबंध में स्थिति साफ नहीं होगी अतः पुर्व वाद सं 439/2022 के अंतिम निस्तारण तक इस वाद की कार्यवाही को रोके जाने की दलील दी । वकील प्रतिवादी की दलीलो का खण्डन करते हुये वादीगण के अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत ने बहस में प्रार्थना जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी की उक्त वाद विभाजन का वाद है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित पुर्व वाद सं 439/2022 अमराराम बनाम सरकार इन्द्राज दुरूस्ती के जरिये घोषणा का वाद है। इस प्रकार दोनो प्रकरणों की प्रकृति अलग–अलग है। प्रतिवादी द्वारा मात्र वाद को लम्बा करने के उद्देश्य से एवं वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से मरहूम करने के लिए तथा वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा नही करते की दुर्भावना से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो सीपीसी के प्रावधानों अनुसार चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम माताजीवाडा के खसरा नंबर 272 रकबा 1.53 हैक्टर गत खसरा नंबर 128/1 से बनने का वर्णित करते हुये वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती के जरिये खातेदारी घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश कर रखा है जिसके वाद सं 439/2022 है तथा न्यायालय में लंबित है। पूर्व वाद एवं उक्त वाद में वर्णित भूमि एक ही होने तथा पक्षकार समान होने एवं पूर्व का वाद घोषणा खातेदारी का होने तथा उक्त वाद मात्र धारा 53 के तहत विभाजन का होने से इस वाद की कार्यवाही को पूर्व वाद के निर्णय तक रोका जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादी धारा 10 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा इस वाद की कार्यवाही को पूर्ववर्ती वाद के निर्णय तक रोका जाता है। पत्रावली निर्णीत की जाकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर पूर्ववर्ती वाद सं 439/2022 के साथ संलग्न हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)